समय सीमा/23.11.2013

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
:: मंत्रालय ::

क्रमांक 1346/आर– 1885/2013/ब–1/चार   भोपाल दिनांक 01/11/2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
मध्य प्रदेश ।

विषयः– द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2013–2014 का विधान सभा में उपस्थापन ।

–::000::–

वर्ष 2013–2014 का द्वितीय अनुपूरक अनुमान विधान सभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के संसाधनों की स्थिति को देखते हुए इस अनुपूरक अनुमान में निम्नांकित स्वरूप की मदें ही सम्मिलित की जा सकेंगीः–

(1) किसी नवीन योजना के प्रस्ताव सक्षम वित्तीय समिति से अनुमोदन प्राप्त होने एवं आयोजना सीमा होने की स्थिति में ही विचार में लिए जा सकेंगे। आयोजना से संबंधित मदों के प्रस्ताव भेजते समय सम्यक रूप से आदिवासी क्षेत्र उपयोजना एवं अनुसूचित जाति क्षेत्र उप योजना में कराए जा रहे प्रावधानों की भी स्थिति स्पष्ट की जाए।

(2) ऐसी मदें जिनके लिये राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया हो।

(3) ऐसी मदें जिनके लिये भारत सरकार /अन्य एजेन्सी से वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है जो विद्यमान मदों से विमुक्त न की जा सकती हो।

(4) ऐसी मदें जिनके लिये वित्त विभाग द्वारा सहमति दी गई हो ।

2/ वित्त विभाग द्वारा की गई कटौती की पूर्ति के लिये कोई मांग न की जाये।

3/ कोई भी ऐसे नवीन मदों के प्रस्ताव सम्मिलित नहीं किये जा सकेंगे जिनमें राज्य के वित्तीय संसाधनों से अतिरिक्त मांग की जा रही हो। वाहन क्रय के कोई प्रस्ताव शामिल नहीं किये जावेंगे।

4/ जिन मदों के संबंध में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अनुदान इत्यादि प्राप्त होना है उनकी संक्षेपिका में केन्द्रीय सहायता अनुदान इत्यादि की राशि जो राज्य को ऋण एवं अनुदान के रूप में प्राप्त होगी, विशेषतौर से बताई जाये। इसी प्रकार कोई व्यय जिसके लिये राशि मांगी जा रही है उसे यदि स्वीकृत बजट की बचत से लेखों में समायोजित होना है तो उसके संबंध में अनुदान संख्या एवं शीर्ष सहित कृपया पूर्ण विवरण दिया जाये।

5/ अनुपूरक अनुमान से संबंधित संक्षेपिका की 06 प्रतियॉं (हिन्दी में) संलग्न निर्धारित प्रपत्र में ही वित्त विभाग को दिनांक **23.11.2013 तक** निश्चित रूप से भेजने का कष्ट करें। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि निर्धारित प्रपत्र के सभी स्थानों की आवश्यक पूर्ति कर दी गई है। आयोजना व्यय हेतु सेगमेंट एवं विकास शीर्ष अवश्य ही लिखे जायें ।

संलग्नः–प्रपत्र

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

शीट कमांक
(वित्त विभाग बजट शाखा द्वारा भरा जावेगा)

अनुपूरक अनुमान कम्प्यूटर पत्रक

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रथम/द्वितीय/तृतीय अनुपूरक अनुमान 201 –201 में सम्मिलित किये जाने वाले प्रस्तावों का प्रारूप (कृपया दिये गये प्रारूप में कोड,नाम आवश्यक रूप से भरें,) (तथा एक पत्रक पर एक ही योजना भरें)(यदि एक ही योजना अलग–अलग लेखा शीर्ष पर हो तो, तो भी उनके लिये अलग–अलग पत्रक का उपयोग करें, अपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जावेंगें । पत्रक भरने संबंधित संलग्न नियमों को ध्यान पूर्वक पढ़े ।)

1. बजट शाखा तथा सहायक कोडः ____________________
2. विभाग (कोड तथा नाम) ____________________
3. बजट प्रस्तावक अधिकारी (कोड तथा नाम) ____________________
4. मांग संख्या ____________________
5. मुख्य शीर्ष ____________________
6. उप मुख्य शीर्ष ____________________
7. लघु शीर्ष ____________________
8. मतदेय/भारित ____________________
9. आयोजना/आयोजनेत्तर ____________________

9.1 (आयोजना है तो———— सेगमेंट (कोड तथा नाम) ____________________
कोड अवश्यक भरें) विकास शीर्ष (कोड तथा नाम) ____________________

9.2 योजना का नाम–(अधिकतम 20 शब्दों में) ____________________

10 योजना का प्रकार– (जो लागू न हो उसे काट दें) नवीन/निरंतर/नवीन तथा निरंतर जिला राज्य स्तरीय/बी.एम.एस./ईयर मार्कड ।

यदि जिला स्तरीय हो तब जिला का कोड तथा नाम :— ____________________

11. फण्ड के स्त्रोतः–

	प्रतिशत	राशि
राज्यांश		
केन्द्रांश		
अन्य		

प्रयोजन हेतु व्यय की मदें (राशि रूपयों में)

उद्देश्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	विवरण	वित्तीय वर्ष में अबतक कुल प्रावधान (बजट अनुमान +अनुपूरक +पुनर्विनियोजन)	माह..................तक कुल व्यय	अतिरिक्त आवश्यक राशि	स्वीकृत (वित्त विभाग के उपयोग हेतु)
		योग				

12. आकस्मिकता निधि से लिया गया अग्रिम ____________________
13. बाह्य स्त्रोतों से प्राप्त सहायता/ऋण
(स्त्रोत (केन्द्र/नाबार्ड/एल.आई.सी./विदेशी सहायता/अन्य) ____________________
(कृपया नाम लिखें) ____________________
14. यदि बचत द्वारा हो तो कृपया पूर्ण विवरण निम्नानुसार दें. ____________________

15.1 पुनर्विनियोजन/समर्पण/बचत की मांग संख्या ____________________
15.2 पुनर्विनियोजन/समर्पण/बचत का मुख्य शीर्ष ____________________
15.3 आयोजना/आयोजनेत्तर ____________________
15.4 मतदेय/भारित ____________________
15.5 बचत की राशि ____________________
15.6 बजट द्वारा उपलब्ध आवंटन ____________________

(संक्षेपिका का विवरण अधिकतम 200 शब्दों में कम्प्यूटर पत्रक के साथ ही संलग्न करें)

बजट नियंत्रण अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी (प्रशासकीय विभाग)